"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 मई 2018 — ज्येष्ठ 5, शक 1940

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50. — किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के चयन के लिये गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे उल्लिखित तालिका के कॉलम (3) एवं (4) में उल्लिखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लिखित तत्संबंधी जिले के बालक कल्याण समिति में, क्रमश: अध्यक्ष/सदस्य के रूप में, नीचे उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात् :-

तालिका

स.क्र.	जिले का नाम	बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष का नाम	बालक कल्याण समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कोरबा	श्रीमती मधु पाण्डे	-
2.	बलरामपुर	श्री अनिल कुमार गुप्ता	1. श्री कमाल अहमद 2. श्रीमती रंजिता गुप्ता
3.	कोरिया	-	श्री आदिल रशीद खान
4.	बीजापुर	श्रीमती मिली सत्यन	श्रीमती नीलाबाई यालम
5.	नारायणपुर	श्री कृष्णाराम कोर्राम	1. श्रीमती एन. के. आजाद 2. श्री प्रमोद कुमार पोटाई

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	कोण्डागांव	श्री नरपतिराम पटेल	1. श्री जयप्रकाश यादव 2. श्रीमती प्रतिमा मिश्रा 3. श्री संतोष सिंह ठाकुर
7.	सुकमा	श्री जगदीश कनौजिया	1. श्री अनिल कुमार मल्ल 2. श्री हरीश कुमार पटेल 3. श्री रामकुमार पटेल
8.	मुंगेली	-	श्री शेख मोहम्मद शमीम
9.	कांकेर	-	श्री बसंत कुमार ठाकुर
10.	धमतरी	-	डॉ. भारती नायडू (राव)
11.	रायपुर	-	श्रीमती प्रतिमा सिंह चंदेल

(1) यह चयन सूची, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेजों के अनुसार तैयार की गई है. किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में, चयन समिति को संबंधित व्यक्ति का चयन निरस्त करने का अधिकार होगा. इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा.

(2) बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी.

(3) यह समिति किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 28 की उप-धारा (1) के अनुसार अपनी बैठक आहूत करेगी, जिसमें विहित तिथि/ समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

(4) समिति, बाल गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगी.

(5) बालक कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा (27) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी.

(6) सरल क्रमाक 5 के अतिरिक्त, समिति के अध्यक्ष/सदस्य, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेंगे.

(7) समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अनुसार बालकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिये कार्य करेंगे.

(8) यदि चयनित सदस्य, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो बालक कल्याण समिति के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते है, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य स्थगित करना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 11th April 2018

NOTIFICATION

No. F 7-5/2012/MBV/50. — In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and as per the recommendations of the State Level Selection Committee constituted for selection of the Chairperson/Members of the Child Welfare Committee,

the State Government, hereby, appoints the following persons mentioned in column number (3) and (4) of the table mentioned below as Chairperson/Members respectively in the Child Welfare Committee of the corresponding District mentioned in column number (2), subject to the conditions mentioned below, namely :-

TABLE

S. No.	Name of the District	Name of the Chairperson of the Child Welfare Committee	Name of the Member of the Child Welfare Committee
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Korba	Smt. Madhu Pandey	-
2.	Balrampur	Shri Anil Kumar Gupta	1. Shri Kamal Ahmad 2. Smt. Ranjita Gupta
3.	Koriya	-	Shri Aadil Rashid Khan
4.	Bijapur	Smt. Mili Satyan	Smt. Nilabai Yalam
5.	Narayanpur	Shri Krishnaram Korram	1. Smt. N. K. Aazad 2. Shri Pramod Kumar Potai
6.	Kondagaon	Shri Narpatiram Patel	1. Shri Jayprakash Yadav 2. Smt. Pratima Mishra 3. Shri Santosh Singh Thakur
7.	Sukma	Shri Jagdish Kannaujiya	1. Shri Anil Kumar Mall 2. Shri Harish Kumar Patel 3. Shri Ramkumar Patel
8.	Mungeli	-	Shri Shekh Mohamad Shamim
9.	Kanker	-	Shri Basant Kumar Thakur
10.	Dhamtari	-	Dr. Bharti Naydu (Rao)
11.	Raipur	-	Smt. Pratima Singh Chandel

(1) This Selection list is prepared according to the application and documents submitted by the applicants. In case of wrong information or discrepancy or complaint at any level, Selection Committee shall have the rights to cancel the selection of the concerned person and no representation shall be acceptable in this regards.

(2) The term of the Chairperson/Members of the Child Welfare Committee shall be for a period of three years from the date of the issue of this order.

(3) This Committee shall hold its meetings as per sub-section (1) of Section 28 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), in which presence of Chairperson/Members on the prescribed date/time shall be mandatory.

(4) The Committee shall hold its meetings in the premises of the Children Home or at any place decided by the District Child Protection Committee.

(5) Appointment of the Members of the Child Welfare Committee may be terminated in accordance with the provisions of sub-section (7) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016).

(6) Besides serial No. 5 Chairperson/Members of the Committee may resign at any time by giving one month's notice.

(7) Committee shall function for the welfare and protection of the children in accordance with the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) & the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

(8) If the selected member is in a profession/service, which can affect his work as a member of the Child Welfare Committee, then he will have to postpone his work of existing profession/service.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL CHAUDHARY, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50. — किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में उल्लिखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लिखित तत्संबंधी जिले के किशोर न्याय बोर्ड में, सामाजिक सदस्य के रूप में, नीचे उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात् :-

तालिका

स. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्य (3)
1.	रायगढ़	1. श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल 2. श्रीमती शारदा मूलिक
2.	बलरामपुर	श्री प्रमोद कुमार कश्यप
3.	बस्तर	श्रीमती पी ज्योति नायडू
4.	बीजापुर	श्री नरेन्द्र बुरका
5.	नारायणपुर	कु. मलनी बघेल
6.	सुकमा	1. श्रीमती जेमा कनौजिया 2. श्री जे. एल. मौर्य
7.	कवर्धा	श्रीमती मधु भट्ट

(1) यह चयन सूची, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेजों के अनुसार तैयार की गई है. किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में, चयन समिति को संबंधित व्यक्ति का चयन निरस्त करने का अधिकार होगा. इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा.

(2) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी.

(3) बोर्ड, संप्रेक्षण गृह के परिसर में अथवा या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगा, जिसमें विहित तिथि/समय पर सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

(4) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा (4) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी.

(5) सरल क्रमांक 4 के अतिरिक्त, समिति के सदस्य, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेंगे.

(6) चयनित सदस्य, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अनुसार कार्य करेंगे.

(7) यदि चयनित सदस्य, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके कार्यो को प्रभावित कर सकते है, तो उन्हें अपनी वर्तमान व्यवसाय/सेवा का कार्य स्थगित करना होगा.

(8) किशोर न्याय बोर्ड में चयनित अधिवक्ता, बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रेक्टीस नहीं करेंगे तथा इस हेतु उन्हें किशोर न्याय बोर्ड में अपने कार्यकाल की अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद् से अपना पंजीयन/सनद् स्थगित कराना होगा तथा उन्हे इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 11th April 2018

NOTIFICATION

No. F 7-5/2012/MBV/50. — In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and as per the recommendations of the State Level Selection Committee, the State Government, hereby, appoints the following person mentioned in column number (3) of the table mentioned below in the Juvenile Justice Board of the corresponding District mentioned in column number (2) as Social Members, subject to the conditions mentioned below namely :-

TABLE

S. No. (1)	Name of the District (2)	Name of the Social Member of the Juvenile Justice Board (3)
1.	Raigarh	1. Shri Laxmi Prasad Patel 2. Smt. Sharda Mulik
2.	Balrampur	Shri Pramod Kumar Kashyap
3.	Bastar	Smt. P. Jyoti Naydu
4.	Bijapur	Shri Narendra Burka
5.	Narayanpur	Ku. Malni Baghel
6.	Sukma	1. Smt. Jema Kannaujiya 2. Shri J.L. Maurya
7.	Kawardha	Smt. Madhu Bhatt

(1) This Selection list is prepared according to the application and documents submitted by the applicants. In case of wrong information or discrepancy or complaint at any level, Selection Committee shall have the rights to cancel the selection of the concerned person and no representation shall be acceptable in this regards.

(2) The term of the Members of the Juvenile Justice Board shall be for a period of three years from the date of the issue of this order.

(3) The Board shall hold its meetings in the premises of the Observation Home or at any place decided by the District Child Protection Committee, in which presence of the Members on the prescribed date/time shall be mandatory.

(4) Appointment of the Members of the Juvenile Justice Board may be terminated in accordance with the provisions of sub-section (7) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016).

(5) Besides serial No. 4, members of the Board may resign at any time by giving one month's notice.

(6) Selected member shall function according to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

(7) If the selected member is in a profession/service which can affect his work as a member of the Juvenile Justice Board then he shall have to postpone his work of existing profession/service.

(8) Advocates selected in the Juvenile Justice Board, shall not be able to practice during his/her tenure in the Board and for this they shall have to get their registration/license suspended from the Chhattisgarh State Bar Council for the period of their tenure in Juvenile Justice Board and they have to provide the relevant documents in this regard to the department.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL CHAUDHARY, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.